सीगा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 139/2019 (RCMS 2019/00242) नवदीप सिंह पुत्र श्री परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं 11, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारे आम रानी पत्नी परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 11, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. परमजीत सिंह पुत्र बहादर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं 11, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, सादुशहर 3. उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

09.11.2020

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री टीटू मदान एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री माहेन लाल माहर उपस्थित है। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है :

प्रार्थी ने यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष लम्बित प्रकरण 704/2019 एवं विविध प्रकरण संख्या 145/2019 अनवानी सुरेन्द्र सिंह बनाम परमजीत सिंह वगै. में पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है इसलिए उक्त प्रकरणों को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल माहर का कथन है कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरणों को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है, अगर अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को 30 दिन में निर्णय हेतु किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित होगा।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थीगण अत्यधिक राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति होने के कारण उसे अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए उसने यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र अधीनस्थ नयायालय में उक्त लम्बित प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेश किया है। अप्रार्थी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है इसलिए इन प्रकरणों को विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जावे।

मैनें दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 704/2019 एवं विविध प्रकरण संख्या 145/2019 अनवानी सुरेन्द्र सिहं बनाम परमजीत सिंह वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु प्रार्थना की है। चूंकि अप्रार्थी के अभिभाषक को भी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए न्यायहित में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुंतकिल किये जाते है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर अपने स्तर से पक्षकारों को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिवत् निस्तारण करने की कार्यवाही करें। पक्षकारों को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वे **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दिनांक 27.11.2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो।** उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को भी यह आदेश दिया जाता है कि उक्त दोनों मूल प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में शीघ्र मुंतकिल करने की कार्यवाही करें। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर/सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर